

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म०प्र०)
प्रकरण क्रमांक:- /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/2077

पार्श्व अधिनायक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक
13/03/18
मुशरीलाल पाठक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

दि डायोसिस ऑफ उज्जैन द्वारा - अधिकृत
व्यक्ति फॉदर अन्टोनी पिता श्री जोसेफ,
आयु - 63 वर्ष, व्यवसाय - डायरेक्टर, पुष्पा
मिशन हॉस्पिटल, निवासी - कैथोलिक चर्च,
देवास रोड़, उज्जैन --- आवेदक

विरुद्ध

- 1- नीलमसिंह पिता रामलाल रघुवंशी,
आयु - 66 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार, निवासी
24, क्षपणक मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन।
- 2- म०प्र० शासन द्वारा - तहसीलदार उज्जैन,
जिला उज्जैन। --- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
न्यायालय तहसीलदार उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक
65/अ-12/2017-18 में की गई सीमांकन की कार्यवाही दिनांक
27/1/2018 व 29/1/2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निगरानी का स्मरण लेख
सादर प्रस्तुत है :-


!! प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य !!

- 1- यह कि, आवेदक संस्था म०प्र० सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के
अंतर्गत एक पंजीकृत चेरीटेबल एवं रीलिजियस संस्था है इस संस्था के द्वारा
उज्जैन व आस-पास सामाजिक, धार्मिक व परमार्थ के कार्य कई वर्षों से
उज्जैन के तहसीलदार उज्जैन में चर्च, स्कूल व अस्पताल का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/2077

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियन्तों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से, यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	